Template for the Information Hand book
Under Right to Information act

सूचना का अधिकार 2005
हस्तपुस्तिका

कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
बांधवगढ़ उमरिया
एवं
बैगा विकास अभिकरण उमरिया
जिला–उमरिया (म0प्र0)

अध्याय 1
प्रस्तावना
Introdution

<u>1.1 सूचना का अधिकार :–</u> प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों को वांछित सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा बनाया गया ।

लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकहित एवं शासकीय क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है इससे कार्यो में पारदर्शिता बनती है एवं भ्रष्ट कारनामों में कमी आती है । जानकारियॉ किसी बहाने बाजी तथा प्रक्रिया संबंधी पेचीदी का कारण बताते हुए छिपाई न जा सकें इसलिए भारत शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया । इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि संवेदनशील गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिवक्षित सूची जानकारी को छोड़कर शेष सूचना जानकारी से नागरिकों को जो सूचना चाहते है, उन्हें अवगत करना सरकार और उनके माध्यमों का कर्तत्व होगा ।

1.2 पुस्तिका में आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आदिवासी विकास परियोजना के क्रियाकलापों एवं उससे संबंधित सूचनाओं एवं सूचना पाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में शासकीय क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं नागरिकों द्वारा चाही जाने वाली सूचनाओं के प्राप्त करने की विधि, विभागीय संरचना एवं उपलब्ध जानकारी के विवरण तथा इसके लिए उत्तरदायी लोक प्राधिकारियों की जानकारी दी गई । इसका मुख्य उद्धेश्य विभाग एवं कार्यालय की कार्यप्रणाली के दुराव छिपाव से मुक्त कर खुलापन एवं पारदर्शिता प्रकट करना है।

1.3 यह पुस्तिका आम नागरिकों, विभाग से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों, संगठनों विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी ।

1.4 हस्तपुस्तिका में विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यालयीन संरचना, शासन के नियम अधिनियम जिनके आधार पर कार्यालय संचालित होता है तथा विभागीय योजनाओं के नियम निर्देशों की जानकारी सूचनाएॅ जो दी जा सकती है, सूचना प्राप्त करने का ढंग, काय्रलय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएॅ समय सारणी विभगीय अधिकारियों के अधिकार कर्तत्वयों का समावेश किया गया है ।

हस्त पुस्तिका में प्रस्तुत शब्दों की परिभाषा –

<u>1.5 सूचना का अधिकार :–</u> ऐसी सूचना का अधिकार जो इस अधिनियम के अधीन पहुॅच योग्य है जो किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा धारित है । इसमें ऐसा अधिकार सम्मिलित है ।

(1) किसी कार्यक्रम/कृत्य/क्रिया का दस्तावेजों के अधीन या अभिलेख का निरीक्षण ।

(2) दस्तावेजों या अभिलेखें के नोट्स लेना, सार संक्षेप लेना या उनकी प्रमाणित प्रतियॉ लेना ।

(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ।

(4) कम्प्यूटर में फीड की सूचनाएॅ प्राप्त करना ।

राज्य सूचना आयोग :– प्रत्येक राज्य सरकार सरकारी, राज्य अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सूचना आयोग के नाम से एक निकाय गठित होगी ।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त :– राज्य सूचना आयोग के दायित्वों के निर्वहन के लिए एक कमेटी के अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त लिखित उत्कृष्ठ एवं विधि विज्ञान तकनीक, समाज सेवा एवं प्रशासन की व्यापक ज्ञान एवं अनुभव हो ।

तीसरा पक्ष :– सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कार्य व्यक्ति और इसमें कोई लोक अधिकारी है ।

विहित :– विहित से आशय है समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी जैसी स्थिति हो के द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए नए नियमों द्वारा विहित ।

लोक प्राधिकारी :– लोक प्राधिकारी से आशय स्वायत्त शासन का कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था जो स्थापित की गई है या गठित की गई है ।

(a) संविधान के द्वारा । (b) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि के द्वारा । (c) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि के द्वारा । (d) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या दिए गए आदेश और सम्मिलित है । कोई निकाय –

(i) जो स्वामित्व के अधीन नियंत्रण के अधीन हो या वित्तीय पोषण के अधीन हो ।

(ii) ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन्हें शासन वित्तीय पोषण किया गया है ।

अभिलेख :– अभिलेख में शामिल है – (a) कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि और फाइल ।
(b) कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिक और दस्तावेज की फैसीमाइल कापी।
(c) कोई आय सामग्री को कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

1.6 संपर्क व्यक्ति :–

(1) सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	परियोजना प्रशासक
अनुपस्थिति में शाखा वाहक सहा0 ग्रेड–3	अनुपस्थिति में सहायक परियोजना प्रशासक

1.7 जो व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं है उसे आवेदन पत्र के साथ 10 रूपये का आवेदन शुल्क नकद अथवा नान जुडिशियल स्टाम के रूप में लगाना अनिवार्य है । दस्तावेज अभिलेखों की फोटो प्रति उपलब्ध हेतु 2 रूपये प्रति पृष्ठ कम्प्यूटराइड जानकारी प्राप्त करने हेतु 10 रूपये प्रति पृष्ठ देय होगो । अभिलेखों के निरीक्षण हेतु जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिए 1 घण्टा या उससे कम के लिए 50 रूपये का भुगतान करना होगा । तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट या उसके मांग के लिए 25 रूपये नकद या नान जुडिशियल स्टाम के रूप में जमा करना होगा ।

अध्याय 2
(मैनुअल 1)

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्धेश्य :– शासन द्वारा चिन्हित परियोजना क्षेत्र के सर्वागीण विकास, इसमें निवास करने वाले अनु0 जनजाति परिवारों का सर्वागीण विकास, इनके हित संरक्षण करना । शासन की विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्रमुख उद्धेश्य है ।

2.2 लोक प्राधिकारण का मिशन :– परियोजना कार्यालय जनजाति आबादी वाले क्षेत्र में होता है, जनजाति परिवारों से जीवन्त सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर क्षेत्र विकास, परिवार मूलक एवं व्यक्ति मूलक कल्याणकारी योजनाऍ तैयार कर स्वीकृति प्राप्त पर उनका सही क्रियान्वयन । सबसे दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को बेसारी सुविधाएं मिल सके, जो एक विकसित क्षेत्र के नागरिक को मिल रही है । यही प्राधिकरण का मिशन है ।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास :– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पॉचवी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना की अवधारणा अपनाई गई आदिवासी क्षेत्रों जहॉ 50 प्रतिशत से अधिक अनु0जन जाति जनसंख्या निवास करती है । वहॉ उपयोजना क्षेत्र घोषित कर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की स्थापना वर्ष 1979–80 में की गई ।

परियोजनाओं के गठन के पीछे शासन की यह मंशा थी कि इन पिछड़े हुए क्षेत्र का समग्र विकास इन परियोजनाओं के माध्य से हो सकेगा तथा विभिनन कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सकेगा ।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य :– आदिवासी अंचल में आदिवासियों का समग्र विकास, इनका शोषण रोकने तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजनाऍ तैयार करना । लोक प्राधिकरण का मुख्य कर्तव्य शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से अविकसित आदिवासी क्षेत्र एवं समुदाय को विकसित क्षेत्र एवं समाज के समान बनाना ।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :–

(1) क्षेत्र एवं आदिवासी समुदाय के विकास के वर्तमान स्तर का आकलन कर जो कमियॉ हो, उनके अनुसार विभिन्न विभागों से योजनाऍ तैयार करना एवं एक्सन प्लान में शामिल करना ।

(2) विभिन्न विकास विभागों के कार्यो की निगरानी करना ।

(3) शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में बैठक परियोजना क्रियान्वयन समिति एवं सलाहकार मंडल की बैठके बुलाना, बैठकों में कार्यो की समीक्षा एवं नए कार्यो की स्वीकृति प्राप्त करना ।

(4) शासन एवं विभागाध्यक्ष को कार्ययोजनाऍ भेजना बैठकों की कार्यवाही विवरण भेजना एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जानकारी के प्रतिवेदन भेजना ।

(5) आदिवासी उपयोजना मांग संख्या 41, 42 एवं 68 के अन्तर्गत, मांग संख्या 64 के अन्तर्गत तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत की जाने वाली योजनाएं तैयार करना । संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत योजनाएं तैयार करना, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना ।

(6) योजनाओं की स्वीकृति :– सलाहकार मण्डल एवं शासन से कराने हेतु पहल करना ।

(7) स्थल निरीक्षण :– आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यो का स्थल निरीक्षण, कार्यो की समीक्षा आदिवासियों के कल्याणर्थ चल रही संस्थाओं का निरीक्षण ।

2.6 प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

(1) परियोजना क्षेत्र का चिन्हाकन ग्रामों की सूची ।

(2) विगत वर्षो में हुए कार्यो की जानकारी ।

(3) वर्तमान समय में चल रहे कार्यो की जानकारी ।

(4) चयनित कलस्टर एवं लाभार्थी लक्ष्य हितग्राहियों की जानकारी ।

बी0पी0एल0 परिवारों के कृषि सुधार, स्वरोजगार, पशुपालन एवं आर्थिक विकास आय सृजित करने वाली योजनाओं का क्रियान्वय ।

विशेष केन्द्रीय सहायता : मद से प्राप्त राशि का सदउपयोग, योजनाओं का निर्माण, स्वीकृति एवं प्राप्त धनराशि का नियम निर्देशानुसार उपयोग हितग्राहियों का आर्थिक उन्नयन हेतु लाभ पहुंचाना ।

विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता : बैगा विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मद से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध योजनाओं का क्रियान्वयन । बैगा जनजाति के हितग्राहियों के आर्थिक विकास के लिए लाभ पहुँचाना ।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) : संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से अनु0 जनजाति परिवारों के विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं, सिंचाई, सड़क, पेयजल आदि के सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

2.7 संगठन :–

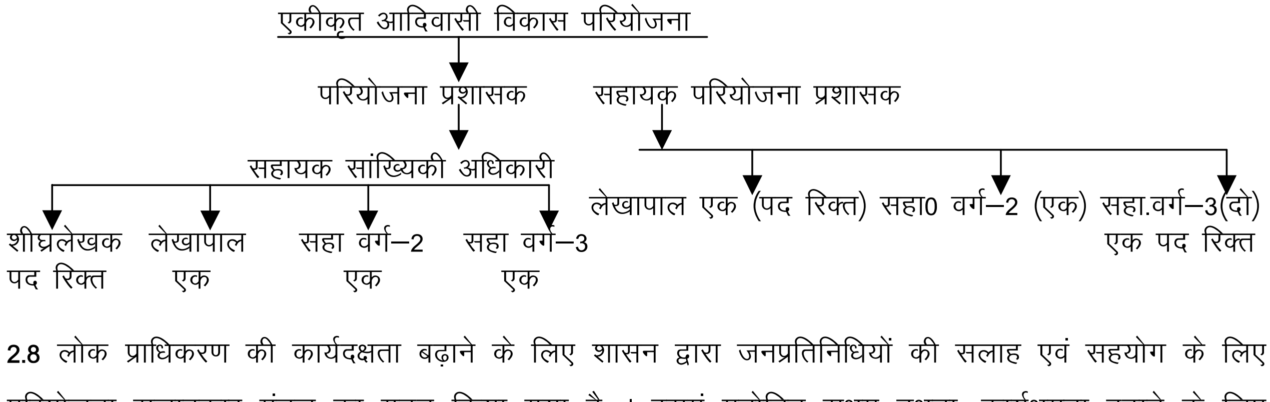

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए शासन द्वारा जनप्रतिनिधियों की सलाह एवं सहयोग के लिए परियोजना सलाहकार मंडल का गठन किया गया है । इसमं मनोनित सक्षम दक्षता, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन देते है ।

2.9 शासन द्वारा परियोजना क्षेत्र को जनप्रतिनिधि विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष को जो अनु0 जनजाति वर्ग से हो परियोजना सलाहकार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत करता है । क्षेत्र के आदिवासी विकास खण्ड तथा सम्मिलित जनपदों के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष, समाज सेवी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है, जिसमें 30 प्रतिशत महिलाएं होना अनिवार्य है । सलाहकार मंडल की बैठक तीन माह में आयोजित की जाती है । बैठकों में क्षेत्र एवं आदिवासी लोगों के विकास हेतु विचार विमर्श होता है, योजनाएं तैयार की जाती है ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण के लिए अधिकारियों की बैठके बुलायी जाती है । शिकायतों पर अधीनस्थ अधिकारियों से जॉच कराई जाती है तथा स्थल निरीक्षण का समाधान किया जाता है एवं उचित कार्यवाही की जाती है ।

2.11 कार्यालयों के पते :–

मुख्य कार्यालय राज्य स्तर पर –	संचालक आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं सतपुड़ा भवन तीसरी मंजिल भोपाल
परियोजना स्तर –	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, बांधवगढ़ जिला अस्पताल के पास उमरिया (म0प्र0)
2.12 कार्यालय खुलने का समय –	10:30 सुबह
कार्यालय बंद होने का समय –	5:30 शायंकाल

अध्याय 3
(मैनुअल 2)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का विवरण :–

पद का नाम – परियोजना प्रशासक ।

शक्तियॉ – प्रशासकीय :– परियोजना क्षेत्र में कार्यरत विभागीय अधिकारी कर्मचारियों का नियंत्रण, गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन परियोजना क्षेत्र में संचालित विभिन्न विभागों में समन्वय योजनाओं का अनुक्षवण, स्थल निरीक्षण प्राप्त शिकायतों का समाधान ।

निर्धारित सीमा अनुसार स्वीकृत कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना द्वितीय श्रेणी तक के अधिकारियों के अवकाश, यात्रा देयक, चिकित्सा देयक स्वीकृत करना ।

वित्तीय :– वित्त संहिता भाग 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियॉ –

(1) सक्षम अधिकारी की तकनीकि सहमति पश्चात 5 लाख तक की नवीन कार्यो तथा 20,000/– रू0 के मरम्मत कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना ।

(2) परियोजना क्षेत्र में कार्यरत विभागीय द्वितीय श्रेणी तक के अधिकारी, कर्मचारियों के जी.पी.एफ., पार्ट फाइनल की स्वीकृति ।

(3) सामग्री अपलेखन के अधिकार – एक समय में 5,000/– रूपये तक की राशि कार्यालय का आहरण वितरण टी.ए. मेडिकल स्वीकृति ।

<u>अन्य :–</u> परियोजना क्षेत्र में संचालित प्रत्येक कार्यक्रम जिसमें जन जातियों का हित निहित हो का स्थल निरीक्षण के अधिकार ।

शासकीय सेवाओं में अनु0 जाति, जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्च्ति कराने हेतु पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार । अनु0जन जाति के शोषण रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही विभिन्न विभागों की परियोजना क्षेत्र में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाने तथा आवश्यक निर्देश देने संबंधी ।

<u>कर्त्तव्य :–</u> (1) आदिवासी एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वागीण विकास के लिए योजनाएं तैयार करना ।

(2) गवर्निंग बाड़ी तथा परियोजना सलाहकार मंडल की बैठके समयानुसार आहूत करना । कार्यो की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करना ।

(3) योजनाओं की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने हेतु पहल करना, आवंटन/धन राशि प्राप्त करने तथा समय पर विभिन्न कार्य एजेंसीयों का पुर्नवंटन करना ।

परियोजना क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों से क्षेत्र विकास आदिवासियों के आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक विकास शिक्षा पेयजल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर योजनाएं प्राप्त करना संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।

अनु0 जनजातियों के हित संरक्षण के लिए प्रत्येक विभाग में पहल करना, निर्माण कार्यो, परिवार मूलक कार्यो का स्थल सत्यापन करना । केन्द्र शासन और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अनु0 जन जातियों के हितार्थ जारी नियम अधिनियम एवं निर्देशों का पालन करना ।

सहायक परियोजना प्रशासक :– कार्यालयीन आहरण वितरण अधिकार सौंपे गए ।

<u>कार्य :–</u> (1) परियोजना प्रशासक कार्यालय के निर्माण कार्यो का आहरण संवितरण कार्य करना ।

(2) परियोजना प्रशासक कार्यालय द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यो में सहयोग, समन्वय, क्रियान्वयन ।

(3) राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तथा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि का आहरण संवितरण करना ।

<u>कर्मचारियों का कार्य विभाजन :–</u>

परियोजना प्रशासक कार्यालय के कर्मचारी			
क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्य
1.	सुश्री सविता मार्को	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सांख्यिकी शाखा, योजना, स्थापना आदि के कार्य
2.	श्री लालू यादव	लेखापाल	कलेक्ट्रेट में वित्त शाखा का कार्य
3.	श्री चैन सिंह मार्को	सहायक ग्रेड–2	लेखा संबंधी समस्त कार्य
4.	श्री जी. सी. द्विवेदी	सहायक ग्रेड–3	बैगा विकास एवं परियोजना की योजना शाखा का कार्य
सहायक परियोजना प्रशासक कार्यालय के कर्मचारी			
क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्य
1.	श्री आर. बी. सिंह	सहायक ग्रेड–2	लेखा संबंधी समस्त कार्य/स्थापना शाखा
2.	श्री आर. डी. भारती	सहायक ग्रेड–3	छात्रवृत्ति एवं आवक जावक

अध्याय 4
(मैनुअल 3)

नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख

क्र0	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	अभिलेख प्राप्त करने का पता पता–दूरभाष ई–मेल अन्य	अभिलेख प्राप्त करने का शुल्क यदि कोई हो	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	परियोजनाओं का गठन	अनुदेश निर्देशिका	परियोजना की सामान्य जानकारी गठन की रूपरेखा	परिप्रशासक कार्यक्रम 222345	अभिलेख की छायाप्रति कराने की राशि 2=00 प्रति पृष्ठ	निर्देष्ट प्रक्रिया में आवेदन पत्र शुल्क सहित जमा करने तथा अवलोकन या छायाप्रति की निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जा सकेगी ।
2.	परियोजना में शामिल ग्रामों की सूची	सूची पंजी अनुदेश, निर्देश	–''–	–''–	–''–	–''–
3.	बैगा विकास अभिकरण का गठन	–''–	–''–	–''–	–''–	–''–
4.	अभिकरण में शामिल ग्रामों की सूची	सूची	–''–	–''–	–''–	–''–
5.	परियोजना सलाहकार मंडल का गठन नियम निर्देश	अनुदेश, निर्देश	–''–	–''–	–''–	–''–
6.	वर्तमान सदस्यों की सूची	सूची	–''–	–''–	–''–	–''–
7.	परियोजना की राशि व्यय करने के नियम निर्देश	अनुदेश, निर्देश	–''–	–''–	–''–	–''–
8.	अभिकरण गवर्निंग बाड़ी का गठन	–''–	–''–	–''–	–''–	–''–

<u>मार्गदर्शिका :–</u> विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के संबंध में दिशा निर्देश ।

<u>संक्षिप्त परिचय :–</u> विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि एवं अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत योजनाएं स्वीकृत करने का दिशा निर्देश ।

अध्याय 5
(मैनुअल 4)

5.1 नीति निर्धारण हेतु :– जनभागीदारी ।

क्र0	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हॉ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था ।
1.	परियोजना सलाहकार मंडल द्वारा कार्ययोजना बनाने की समीक्षा, अनुश्रवण, मूल्यांकन ।	जनप्रतिनिधि के रूप में भागीदारी	त्रैमासिक बैठक का आयोजन
2.	बैगा विकास अभिकरण की गवर्निगं बाड़ी द्वारा बैगा जनजाति के सर्वागीण विकास की कार्ययोजना बनाना, अनुश्रवण एवं समीक्षा करना ।	–''–	–''–

5.2 नीति के क्रियान्वयन हेतु :– परियोजना सलाहकार मंडल एवं अभिकरण की गवर्निगंबाड़ी द्वारा स्वीकृत ।

क्र0	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हॉ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	2	3	4
1.	सलाहकार मण्डल एवं गवर्निग बाड़ी द्वारा कार्यो की स्वीकृति, कार्य एजेन्सी का निर्धारण एवं क्रियान्वयन में परामर्श	जनप्रतिनिधि के रूप में भागीदारी अनिवार्य है ।	निर्धारित समय पर बैठके का आयोजन

अध्याय 6
(मैनुअल 5)

6.1 कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण :–

क्र0	विवरण	दस्तावेज का नाम एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1.	सेवा अभिलेख	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा पुस्तिकाएं व्यक्तिगत नस्तियॉ जिनमें कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख का विवरण होता है, कार्य विभाजन एवं कर्मचारियों की जानकारी ।	निर्धारित शुल्क में आवेदन पत्र एवं छायाप्रति / टंकण की निर्धारित शुल्क प्रदाय करने पर ।	परियोजना प्रशासक कार्यालय एवं सहा0 परियोजना प्रशासक कार्यालय ।
2.	योजनाओं की नस्तियॉ	विभागीय योजनाओं के नियम निर्देश उनके क्रियान्वयन स्वीकृतियों एवं कर्मचारी की नस्तियॉ ।	–''–	–''–
3.	बैठकों के कार्यवाही विवरण	परियोजना सलाहकार मंडल एवं गवर्निग बाड़ी की बैठकों के कार्यवाही विवरण	–''–	–''–
4.	कार्ययोजनाएं	विगत 5 वर्षो की कार्ययोजनाएं जो शासन को भेजी गई	–''–	–''–
5.	परियोजना का	परियोजना का कार्यक्षेत्र सम्मिलित ग्रामों	–''–	–''–

	गठन एवं ग्रामों की सूची	की सूची जनसंख्या सहित ।		
6.	जी0पी0एफ0 अवकाश एवं अग्रिम	कार्मचारियों की जी0पी0एफ0 पास बुक स्वीकृति की नस्तियॉ अवकाश लेखा	–''–	–''–
7.	कैशबुक, बिल बुक	कार्यालय के आहार वितरण का लेखा–जोखा	–''–	–''–
8.	मार्ग दर्शिका विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के संबंध में दिशा निर्देश	विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि एवं अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत योजनाएं स्वीकृत करना ।		
9.	छात्र वृत्ति स्वीकृति कक्षा 1 से 5 तक की छात्रवृत्ति वितरण के अभिलेख	–''–	–''–	सहायक परियोजना प्रशासक कार्यालय

अध्याय 7
(मैनुअल 6)

7.1

- सम्बद्ध संस्था का नाम : परियोजना सलाहकार मंडल एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बांधवगढ़

  गवर्निंग बाड़ी बैगा विकास अभिकरण बांधवगढ़ उमरिया
- सम्बद्ध संस्था का प्रकार : सलाहकार बोर्ड/निकाय
- सम्बद्ध संस्था का परिचय : परियोजना सलाहकार मंडल में क्षेत्र के अनु0 जनजाति विधायक/जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद अध्यक्ष में से किसी एक को शासन द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसमें क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष पदेन सदस्य होते है, कुछ अशासकीय सदस्य मनोनीत किए जाते है । मंडल की बैठकों में परियोजना के कार्यो की समीक्षा भी की जाती है। सलाहकार मंडलों के गठन वर्ष 1996–97 से प्रारम्भ किए गए ।
- गवर्निंगबाड़ी स्थापना वर्ष 1999–2000 : गवर्निंग बाड़ी बैगा विकास अभिकरण में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के किसी व्यक्ति को शासन द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। पदेन सदस्यों के साथ 5 अशासकीय सदस्य मनोनीत किए जाते है, जो बैगा जनजाति के होते है । यह निकाय बैठकों में कार्यो की स्वीकृति, अनुश्रवण एवं समीक्षा करता है ।
- सम्बद्ध संस्था की भूमिका : परामर्शदात्री ।

- स्वरूप एवं पते –

  परियोजना सलाहकार मंडल :– सलाहकार मंडल में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते है, परियोजना प्रशासक सदस्य सचिव होते है क्षेत्र के विधायक, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पदेन सदस्य होते है । जिला पंचायत एवं अशासकीय/समाज सेवी 2–2 सदस्य मनोनीत किए जाते है, जिनमें 1–1 महिला होना आवश्यक है ।

  कलेक्टर, अध्यक्ष भूमि विकास बैंक, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य होते है ।

- वर्तमान सदस्य : (1) सुश्री मीना सिंह, अध्यक्ष एवं माननीय राज्य मंत्री म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास

  (2) श्री ज्ञान सिंह विधायक विधानसभा क्षेत्र उमरिया

  (3) श्री अजय सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत उमरिया

  (4) श्री कैलाश सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत करकेली

  (5) श्री राम किशोर चतुर्वेदी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मानपुर

  (6) सुश्री मनीषा सिंह, सदस्य जिला पंचायत

  (7) श्री बलवीर सिंह, ग्राम तमन्नारा

  (8) श्री कवक सिंह, सरपंच ग्राम कछारी

  (9) अध्यक्ष भूमि विकास बैंक पदेन

  (10) अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक पदेन

  (11) श्री व्ही0 ए0 कुरील, कलेक्टर उमरिया

  (12) श्री जे0 एस0 धुर्वे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमरिया

  (13) श्री के0 पी0 त्रिपाठी, परियोजना प्रशासक सदस्य सचिव

  (14) श्री दलपत सिंह परस्ते, क्षेत्रीय सांसद आमंत्रित सदस्य

- मुख्य अधिकारी : सुश्री मीना सिंह, विधायक नौरोजाबाद एवं राज्यमंत्री म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग — अध्यक्ष परियोजना सलाहकार मंडल

- मुख्य कार्यालय : सलाहकार मंडल पृथक से कोई कार्यालय नहीं है, बैठकों में सभी सदस्य एकत्र होते है, अभिलेख परियोजना प्रशासक/सचिव कार्यालय में रहता है

- बैठकों की आहुति : 3 माह में एक बार ।

- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है : नहीं । सलाहकार मंडल के सदस्य ही अधिकृत है ।

- क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयारी की जाती है : हॉ ।

- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है : हॉ
- प्रक्रिया का विवरण दें : आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क एवं छायाप्रति की निर्धारित राशि प्रदाय करने पर ।
- बैगा विकास अभिकरण की गवर्निंग बाड़ी के वर्तमान सदस्य :

(1) श्री लालमनी बैगा, अध्यक्ष ग्राम गहराटोला

(2) सुश्री मीना सिंह, विधायक विधानसभा क्षेत्र नौरोजाबाद एवं राज्य मंत्री म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास

(3) श्री ज्ञान सिंह, विधायक विधानसभा क्षेत्र उमरिया

(4) श्री अजय सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत उमरिया

(5) श्री व्ही0 ए0 कुरील, कलेक्टर/उपाध्यक्ष उमरिया

(6) श्री रामकिशोर चतुर्वेदी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मानपुर

(7) श्री कैलाश सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत करकेली

(8) सुश्री ज्ञानवती सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत पाली

(9) श्री नत्थूलाल बैगा, ग्राम उफरी (ददरी) विकासखण्ड करकेली

(10) श्री दुलीचन्द बैगा, ग्राम पाली विकासखण्ड करकेली

(11) श्री रामप्रताप बैगा, ग्राम बकली विकासखण्ड पाली

(12) श्री लवकेश बैगा, ग्राम करकेली विकासखण्ड करकेली

(13) श्री चम्मूलाल बैगा, ग्राम तामन्नारा विकासखण्ड करकेली

(14) श्री के0 पी0 त्रिपाठी, परियोजना प्रशासक/सचिव

अध्याय 8

(मैनुअल 7)

लोक प्राधिकरण का नामः कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बांधवगढ़ एवं बैगा विकास अभिकरण उमरिया

सहायक लोक सूचना अधिकारी :–

क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	सुश्री सविता मार्को	सहा0 सांख्यिकी अधिकारी	07653	222345	–			जिला अस्पताल के पीछे श्री सोनी के मकान में

लोक सूचना अधिकारी :–

क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री के0 पी0 त्रिपाठी	परियोजना प्रशाासक	07653	222345	223115 9425179622	–	–	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सामने परियोजना कालोनी उमरिया

स्थानापन्न अधिकारी :–

क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री के0 के0 सोनी	सहा0 परियोजना प्रशाासक	07653	222345	9329535524			पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सामने परियोजना कालोनी उमरिया

विभागीय अपीली एथारिटी :–

क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री व्ही0 ए0 कुरील	कलेक्टर	07653	222600	222700	–	–	कलेक्टर जिला–उमरिया

विभागीय अपीलीय अथारिटी :–

क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं म0प्र0 भोपाल	संचालक	0755	–	–	–	–	सतपुड़ा भवन तीसरी मंजिल भोपाल

अध्याय 9
(मैनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया :–

(1) शाखा वाहक द्वारा नस्ती का विचाराधीन पत्र के साथ विभागीय नियम निर्देशों के साथ प्रस्तुतीकरण ।

(2) योजनाओं की नस्ती, सहा0 सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित ।

(3) लेखा सम्बन्धी नस्ती, लेखापाल के माध्यम से अग्रेषित ।

(4) अवकाश, स्थापना आदि की नस्तियों स्थापना प्रभारी, लेखापाल के माध्यम से अग्रेषित ।

(5) परियोजना प्रशासक के पास नस्ती का प्रस्तुतीकरण नियम निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर टीप सहित कलेक्टर को नस्ती प्रेषित ।

(6) निर्णायक अधिकारी, कलेक्टर ।

(7) पर्यवेक्षण अधिकारी, कलेक्टर एवं संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं ।

अध्याय 10
(मैनुअल 9)
कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों के व्यक्तिगत जानकारी

क्र.	अधि./कर्म. का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	शैक्षणिक योग्यता	शासकीय सेवा में नियुक्ति तिथि	वर्तमान मद	वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक	निवास का पता	दूरभाष/ ई मेल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री के.पी. त्रिपाठी	31.10.55	पन्ना	स्नातक	10.10.77	परियोजना प्रशासक	12.01.05	परियोजना कालोनी पी. टी.एस. के सामने उमरिया	223115 निवास 222345 कार्यालय
2.	श्री कृष्ण कुमार सोनी	04.01.1966	सीधी	स्नातक	15.06.1987	प्रभारी सहा. परियोजना प्रशासक	07.04.05	परियोजना कालोनी पी. टी.एस. के सामने उमरिया	9425332056 657822264403 9329535524
3.	कु. सविता मार्को	31.07.63	डिंडौरी	बी.ए.	02.12.87	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	12.10.98	जिला अस्पताल के पीछे सुभाष गंज उमरिया	–
4.	श्री लालू यादव	11.07.55	उमरिया	हायर सेकेण्डरी	01.07.80	लेखापाल	27.12.89	विकटगंज उमरिया	–
5.	श्री चैन सिंह मार्को	30.06.66	उमरिया	हायर सेकेण्डरी	10.05.88	सहायक ग्रेड –2	08.09.03	ज्वालामुखी फाटक के पासउमरिया	–
6.	श्री आर.बी. सिंह	01.07.67	सीधी	स्नातक	12.04.89	सहायक वर्ग–2	22.10.97	परियोजना कार्या के बगल में उमरिया	–
7.	श्री जी.सी. द्विवेदी	01.01.63	जबलपुर	बी0ए0	01.07.90	सहायक वर्ग–3	01.07.90	जिला अस्पताल के सामने सुभाष गंज उमरिया	–

8.	श्री आर.डी. भारती	05.09.62	चित्रकूट	12 वी	24.10.86	सहायक वर्ग–3	01.06.96	परियोजना कालोनी पी. टी.एस. के सामने उमरिया	–
9.	श्री पी.के. निगम	01.11.63	रीवा	10 वी	01.04.89	वाहन चालक	01.04.89	–''–	–
10.	श्री रमेश कुमार शुक्ला	01.10.63	सतना	हायर सेकेण्डरी	20.09.89	भृत्य	20.9.89	गोपाल मंदिर के पास उमरिया	–
11.	श्री चरण सिंह	15.01.66	उमरिया	चौथी	05.12.89	भृत्य	05.12.89	पी.टी.एस. के सामने उमरिया	–
12.	श्री धनेशपुरी गोस्वामी	21.01.67	उमरिया	हाईस्कूल	20.09.89	भृत्य	20.09.89	चन्दवार उमरिया	–
13.	श्री कमलेश कुमार रैदास	04.06.77	उमरिया	हायर सेकेन्डरी	31.8.98	भृत्य	31.08.98	भरौला	–

अध्याय 11
(मैनुअल 10)

संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों के मासिक उपलब्धियों का विवरण

क्र.	अधि. /कर्म. का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूलवेतन	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	वाहन भत्ता	धुलाई भत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री के.पी. त्रिपाठी	परियोजना प्रशासक	12000–375 –16500	12750.00	–	7013.00	319.00	–	–	–
2.	श्री कृष्ण कुमार सोनी	सहा0 परियोजना प्रशासक	6500–200 –10500	6500.00	–	3575.00	–	–	–	–
3.	कु. सविता मार्को	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	5500–175 –9000	6550.00	–	3603.00	164.00	–	–	–
4.	श्री लालू यादव	लेखापाल	4000–100 6000	6000.00	–	3300.00	150.00	–	–	–
5.	श्री चैन सिंह मार्को	सहायक ग्रेड –2	4000–100 6000	4100.00	–	2225.00	102.00	–	–	–
6.	श्री आर.बी. सिंह	सहायक वर्ग–2	4000–100 –6000	4700.00	–	2585.00	118.00	–	–	–
7.	श्री जी.सी. द्विवेदी	सहायक वर्ग–3	3500–80 4700–100 –5200	4060.00	–	2233.00	–	–	–	–
8.	श्री आर.डी. भारती	सहायक वर्ग–3	3050–75 –4590	3725.00	–	2049.00	–	–	–	–
9.	श्री पी.के. निगम	वाहन चालक	3500–80 4700–100 –5200	4300.00	–	2365.00	–	–	–	–
10.	श्री रमेश कुमार शुक्ला	भृत्य	2610–60 –3150–65 –3540	3150.00	–	1733.00	77.00	–	–	30.00

11.	श्री चरण सिंह	भृत्य	2610—60 —3150—65 —3540	3215.00	—	1768.00	—	—	—	30.00
12.	श्री धनेशपुरी गोस्वामी	भृत्य	2550—3200	3200.00	—	1760.00	80.00	—	—	30.00
13.	श्री कमलेश कुमार रैदास	भृत्य	2550—3200	2900.00	—	1595.00	73.00	—	—	30.00

अध्याय 12
(मैनुअल 11)

क्रमांक	योजना/मद का नाम	वर्ष	प्राप्त आवंटन
1	2	2004—05	3
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता परियोजना मद	2004—05	136.58
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	2004—05	19.81
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता बैगा विकास अभिकरण	2004—05	96.50
4.	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (बैगा विकास)	2004—05	3.25

(A) अनुदान प्रदान करने वाली योजनाओं की सूची —

(1) कृषि विकास :— कृषि यंत्रों का वितरण, खाद, बीज वितरण भूमि सुधार, वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस संयत्र, डीजल पम्प, सिंचाई कूप आदि ।

(2) पशुपालन :— दुधारू गाय, बकरी प्रदाय, बैल जोड़ी प्रदाय ।

(3) स्वरोजगार :— किराना दुकान, बढ़ई, लोहारी, सेंट्रिग सामग्री, दोना पत्ता मशीन, बैलगाड़ी, साइकिल स्टोर आदि ।

(B) हितग्राही चयन करने की प्रक्रिया :— सर्वप्रथम सलाहकार मंडल एवं गवर्निग बाड़ी द्वारा कलस्टर ग्रामों का चयन किया जाता है, चयनित ग्रामों के बी0पी0एल0 परिवारों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक क्रियान्वयन एजेन्सी के उपस्थिति ग्राम सभा में हितग्राहियों के व्यवसाय का चयन उनकी रूचि इच्छा से होता है । एक हितग्राही को अधिकतम 20,000 रूपये तक के अनुदान की पात्रता होती है ।

(B) विस्तृत जानकारी :—

(1) विशेष केन्द्रीय सहायता परियोजना मद में प्राप्त आवंटन, व्यय की जानकारी
वर्ष 2004–05

प्राप्त आवंटन 136.58 लाख

क्र0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि विभाग	कृषि विकास कार्यक्रम खाद, बीज, कृषि यंत्र, वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस संयत्र इत्यादि	74.40	35.6	812	–
2.	कृषि विभाग	डीजल पम्प	6.80	–	–	हितग्राहियों का चयन कर लिया गया है अग्रिम कार्यवाही की जा रही है
3.	कृषि विभाग	कुंआ/ट्यूबवेल	7.60	–	–	–''–
4.	कृषि विभाग	भूमि का समतलीकरण	6.17	4.25	100	–''–
5.	कृषि विभाग	चैकडैम निर्माण	14.21	9.50	48	–''–
6.	पशुपालन विभाग	दुधारू गाय का प्रदाय	21.20	21.20	106	–
7.	पशुपालन विभाग	बकरी पालन	2.60	2.60	13	–
8.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	किराना दुकान	2.20	2.20	11	–
9.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	बढ़ई का सामान	1.00	1.00	5	–
10.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	सेट्रिंग सामग्री	0.40	0.40	2	–
		योग :–	136.58	76.75	–	–

(2) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्त आवंटन, व्यय की जानकारी
वर्ष 2004–05

प्राप्त आवंटन रूपये 19.81 लाख

क्र0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	जल संसाधन विभाग	लखनौटी वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण	4.98	4.98	पूर्ण	
2.	जल संसाधन विभाग	कछौंहा वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण	5.08	4.00	पूर्ण	
3.	जल संसाधन विभाग	गोपाल पुर के झिरिया नाला में वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण	5.45	–	–	स्थल विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो सका बरसात बाद कार्य कराया जायेगा
4.	जल संसाधन विभाग	गोपालपुर के टिकरिया नाला में वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण	4.30	3.63	पूर्णता	
		योग :–	19.81	12.61	–	–

(3)बैगा विकास अभिकरण विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त आवंटन, व्यय की जानकारी

वर्ष 2004—05

प्राप्त आवंटन रूपये 96.50 लाख

क्र0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि विभाग	कृषि विकास कार्यक्रम, खाद, बीज, बैल जोड़ी इत्यादि	28.20	12.0	—	हितग्राहियों का चयन कर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
2.	कृषि विभाग	कुंआ सिंचाई हेतु	10.60	—	—	—''—
3.	कृषि विभाग	टिल्लूपंप व अन्य सामान	0.60	—	—	—''—
4.	कृषि विभाग	डीजल पम्प	6.40	—	—	—''—
5.	कृषि विभाग	भूमि का समतलीकरण	8.50	—	—	—''—
6.	कृषि विभाग	ट्यूब बेल	2.00	—	—	—''—
7.	कृषि विभाग	सिंचाई हेतु पाईप लाइन	5.80	—	—	—''—
8.	कृषि विभाग	वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण	10.00	5.0	—	—''—
9.	पशुपालन	गाय पालन	4.60	4.60	—	—''—
10.	पशुपालन	बकरी पालन	7.00	7.0	—	—''—
11.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	किराना दुकान	4.20	—	—	—''—
12.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	बैलगाड़ी	1.20	—	—	—''—
13.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	साइकिल स्टोर	1.60	—	—	—''—
14.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	ईंट भट्टा	2.60	—	—	—''—
15.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	सब्जी धंधा	0.80	—	—	—''—
16.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	बीज समूह	2.40	—	—	—''—
		योग :—	96.50	**28.60**	—	—

(4) केन्द्र क्षेत्रीय योजना मद (बैगा विकास) में प्राप्त आवंटन, व्यय की जानकारी

वर्ष 04–05

प्राप्त आवंटन रूपये 3.25 लाख

क्र0	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	स्वरोजगार योजना किराना दुकान	1.05	1.05	–	वितरण की कार्यवाही की जा रही है
2.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	साइकिल दुकान	0.90	0.90	–	–''–
3.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	जड़ी बूटी संग्रह	0.75	–	–	–''–
4.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	सब्जी व्यवसाय	0.30	–	–	–''–
5.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	सिलाई उद्योग	0.15	–	–	–''–
6.	व्यापार एवं उद्योग विभाग	बढ़ईगिरी	0.10	–	–	–''–
		योग :–	**3.25**	**1.95**	–	–

अध्याय 13
(मैनुअल 12)
अनुदान, सहायता

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत अनुदान/सहायता के कार्यक्रम संचालित नहीं है ।

अध्याय 14
(मैनुअल 13)

रियायती, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण ।
जानकारी :– निरंक

अध्याय 15
(मैनुअल 14)

15.1 परियोजना द्वारा अपने विभिन्न कियाकलापों/ कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलबध करायें ।

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत परिवार मूलक/आर्थिक विकास/रोजगार सह आय सृजित योजनाओं के प्रस्ताव/प्रोजेक्ट एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ, एवं 6 लघु अंचल से भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों अनुसार प्राप्त कर परीक्षणोपरांत राज्य शासन को अनुमोदन/स्वीकृत हेतु भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाते हैं ।

2. संविधान के अनुच्छेद– 275(1)

संविधान के अनुच्छेद– 275(1) प्रस्ताव/ प्रोजेक्ट, जिसके अन्तर्गत अधोसंरचना विकास के कार्यक्रम शामिल होते है, परियोजना द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजे जाते है ।

3. विशेष पिछड़ी जनजाति

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के विकास हेतु परिवार मूलक एवं रोजगार मूलक योजनाओं के प्रस्ताव विशेष पिछड़ी जनजाति के अभिकरणों से प्राप्त कर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र को उपलब्ध कराए जाते हैं । इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत आवंटन प्रदाय किया जाता है।

4. विद्युतीकरण

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत शासन द्वारा पंपों के उर्जीकरण, मजरे/ टोलों एवं एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय 17
(मैनुअल 16)

सूचना के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं :–

क्र0	सुविधा	प्रभारी का नाम	समय सीमा	सम्पर्क नंम्बर
1.	सूचना पटल अभिलेखों का निरीक्षण दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध विभागीय मैनुअल सूचना सहायक	श्री के0 पी0 त्रिपाठी परियोजना प्रशासक एवं श्री के0 के0 सोनी सहायक परियोजना प्रशासक (2) सुश्री सुविता मार्को, सहायक सांख्यिकी अधिकारी (3) श्री जी0 सी0 द्विवेदी, सहायक ग्रेड–3	शायं 2 बजे से 5 बजे तक	222345

अन्य उपयोगी जानकारी :–

17.1 जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर देने के लिए कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीयों को समझाइस दी गई है ।

आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध है । परिशिष्ट 1

शुल्क 10=00 दस रूपये आवेदन पत्र के साथ शुल्क देय होगा, जिसकी रसीद संबंधित को दी जावेगी । 2 रूपये प्रति पृष्ठ वांछित जानकारी की फोटो कापी के लिए देय होगा । किसी भी नागरिक द्वारा कार्यालय एवं विभाग से संबंधित जानकारी/सूचना चाहे जाने पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया जाएगा । यदि वह लिखने को सक्षम नहीं है तो लिखने के लिए सहायक की सुविधा दी जाएगी । निर्धारित शुल्क सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर प्राप्ति रसीद दी जाएगी एवं जानकारी की शुल्क जमा करने की सूचना एवं जानकारी प्रदान करने की तिथि दी जाएगी । नियत समय में जानकारी उपलब्ध अधिकारी के पास जाने की जानकारी दी जाएगी ।

अध्याय 18
(मैनुअल 17)
अन्य उपयोगी जानकारी

परियोजना द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए राशि दी जाती है :–

(अ) विशेष केन्द्रीय सहायता

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी परिवारों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद से निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है :–

1. कृषि उद्यानिकी :

1. आदिवासियों की भूमि पर उपयोगी विस्तार सेवायें ।
2. आदिवासी कृषकों के लिए प्रशिक्षण सह–प्रदर्शन कार्यक्रम ।
3. कृषि कार्यक्रम अंतर्गत आदिवासी परिवारों को बीज, खाद, मिनीकिट एवं कीटनाशक दवा वितरण ।
4. आदिवासी कृषकों के खेतों पर व्यवसायिक फसल कार्यक्रम ।
5. अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि का भू–सुधार ।
6. आदिवासी हितग्राहियों की भूमि पर फल एवं सब्जी का पौधरोपण ।
7. आदिवासियों को फल एवं सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन का प्रशिक्षण ।
8. लघु रोपणी एवं बीज फार्म ।

2. भूमि सुधार :

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए भू–अभिलेख तैयार करना ।
2. कृषि भूमि के जीर्णोद्धार हेतु आदिवासियों को सहायता ।

3. जलग्रहण विकास/भू–संरक्षण :

1. आदिवासी समुदाय के लिए चैक डेम, नलकूप डायवर्सन चैनल, ट्यूबवेल, वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि
2. कुएं, नलकूप, सिंचाई पंप एवं कृषि तालाबों हेतु आदिवासी हितग्राहियों को सहायता ।
3. आदिवासियों की भूमि पर भूमि संरक्षण के उपाय के रूप में अनाज एवं फल प्रजातियों का पौधरोपण ।

4. पशुपालन :

1. आदिवासी परिवारों को दुधारू पशु, मुर्गी, बकरी, भेड़, सुअर, बतख आदि का प्रदाय ।
2. उत्पादित वस्तुओं की प्रोसेसिंग हेतु सहायता ।
3. आदिवासी सदस्यों की दुग्ध तथा मुर्गीपालन सहकारी समितियों को सहायता ।

5. परिस्थितिकी एवं पर्यावरण :

1. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विकास हेतु सामुदायिक आधारित परिवारमूलक आर्थिक कार्यक्रम/योजनायें ।

6. वन एवं वन ग्रामों का विकास :

1. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज का पौधरोपण एवं जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण ।
2. लघु वनोपज समितियों को लघु वनोपज के संग्रहण, एकत्रीकरण एवं प्रासेसिंग हेतु अनुदान।
3. लैंम्प्स, टी. डी. सी. सी. एवं अन्य सहकारी समितियों के अन्तर्गत लघु वनोपज प्रोसेसिंग इकाई हेतु सहायता ।

7. उद्यमिता विकास और एस. एस. आई. :

1. आदिवासी नवयुवकों में छोटे–छोटे उद्योंग धंधों को पूरा करने के लिये उद्यमिता का विकास करना ।

2. आदिवासी विकास सहकारी समिति/आदिवासी सहकारी समितियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आधारित लघु उद्योग/एग्रो/फारेस्ट से संबंधित उद्योगों में सहायता प्रदान करना

3. औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले अथवा औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित आदिवासियों को स्वरोजगार योजना में सहयोग प्रदान करना ।

8. आदिवासी महिलायें :

1. आदिवासी महिलाओं एवं उनकी सहकारी समितियों को उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन एवं वितरण हेतु सहायता ।

2. स्व–सहायता समूह का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण ।

3. पारिवारिक आय में वृद्धि करने वाली योजनाओं हेतु आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण ।

उपरोक्त योजनायें उदाहरण स्वरूप दी गई है, जिनसे कि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत कार्यक्रम लिये जा सकते हैं । इसके अलावा भी स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये ऐसी योजनायें भीली जा सकती हैं जो कि परिवार /स्वसहायता समूह /समुदाय मूलक, रोजगार सह–आय सृजित योजनायें हों ।

(ब) संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि –

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मानवीय विकास के आंकड़े शेष जनसंख्या की तुलना में नीचे होने और जनजाति क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में समान आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न होने के प्रकाश में अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस अंतर को दूर करने के लिए संसाधनों को समन्वित करके बुनियादी क्षेत्रों के विकास हेतु तथा जनजातीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्राप्त होती है।

लघु आयोजन के जरिये तैयार की गई एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योगों, वनों, वन्यग्रामों, पेयजल, विद्युतिकरण, संचार, ग्रामीण विपणन, कृषि,पशुपालन, क्रीड़ा संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण, तकनीकी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में मानवीय संसाधन के विकास, जल दोहन, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, जनजातीय भूमि प्रबंधन इत्यादि में, बुनियादी संरचना की कमी को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्राप्त राशि का व्यय किया जाता है।

(स) जनश्री जीवन बीमा योजना–

विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के चिन्हाकित ग्रामों में निवास करने वाले बैगा जनजाति के व्यक्तियों को जनश्री जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है । विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने पर उक्त योजना का लाभ दिया जावेगा ।

(द) विद्युतीकरण–

राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यों हेतु राशि प्रदान की जाती है –

1. आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के मजरे टोलों में विद्युतीकरण ।

2. आदिवासी परिवारों को एक बत्ती कनेक्शन ।

3. आदिवासी कृषकों के पम्पों का उर्जीकरण ।